झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–165 वर्ष 2007

सकलदेव तिवारी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री संजय कुमार, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी–राज्य के लिएः–सुश्री श्वेता सिंह, अति0लो0अभि0

04 / 02.01.2023 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. तत्काल पुनरीक्षण आवेदन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0–III, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 01.12.2006 के निर्णय के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील सं0 270 / 2004 को खारिज कर दिया गया है और विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद द्वारा जी0आर0 सं0 1430 / 2001, टी0आर0 सं0 314 / 2004 के तत्सम में दिनांक 02.12.2004 को पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा के आदेश को पुष्टि किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था और भारतीय दंड संहिता की प्रत्येक धारा 279, 337 और 304 (ए) के तहत छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि यह मामला वर्ष 2001 का है और वह सजा के सवाल पर अपने दलील को सीमित रख रहे हैं और याचिकाकर्ता लगभग 52 दिनों तक हिरासत में रहे। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अब याचिकाकर्ता मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है और वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और जमानत की पूरी अवधि के दौरान, उसने कभी भी जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया, इसलिए सजा को पहले से भुगती गई अवधि के लिए संशोधित किया जा सकता है।

4. राज्य के विद्वान वकील ने फैसले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार दोषसिद्धि को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और निचली अदालत के अभिलेखों सहित आक्षेपित निर्णयों को देखने के बाद और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सीमित दलीलों और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे को ध्यान में रखते हुए, मैं निचली अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और इस तरह विद्वान विचारण अदालत द्वारा पारित और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया दोषसिद्धि का निर्णय, एतद्द्वारा कायम रखा जाता है।

6. जहाँ तक सजा का संबंध है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि घटना वर्ष 2001 की है और 21 वर्ष बीत चुके हैं और याचिकाकर्ता को इन सभी वर्षों के लिए मुकदमेबाजी की

कठिनाईयों का सामना करना पड़ा होगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ता लगभग 52 दिनों तक हिरासत में रहा और जमानत की पूरी अवधि के दौरान उसने कभी भी जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया।

7. इस तरह की स्थिति में, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता को वापस जेल भेजने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और जुर्माने के बदले सजा में संशोधन करना ही न्याय हित में पर्याप्त होगा।

8. इस प्रकार विचारण अदालत द्वारा पारित और अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा को एतद्द्वारा इस हद तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 10,000/– रूपये के जुर्माने के भुगतान करने पर पहले से भुगत चुकी अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध के अनुसार यह राशि आज से छह महीने के भीतर सचिव, डी0एल0एस0ए0, धनबाद के समक्ष जमा की जाएगी, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता विद्वान निचली अदालत के आदेश के अनुसार शेष सजा काटनी होगी।

9. उपरोक्त अवलोकन, निर्देश और सजा में संशोधन के साथ, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है।

10. याचिकाकर्ता को उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन अपने जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

11. इस आदेश की प्रति को निचली अदालत, सचिव, डी0एल0एस0ए0, धनबाद और याचिकाकर्ता को संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जाए।

12. निचली अदालत के रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित अदालत में भेजा जाए।

(दीपक रोशन, न्याया0)